रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1999/श्रावण 7, 1921
No. 64] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1999/SRAVANA 7, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1999

सं. टी ए एम पी/30/99-सी ओ पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार मैसर्स ए सी टी शिपिंग लिमिटेड द्वारा किए गए अभ्यावेदन का निपटान करता है, जिसमें कोचीन पत्तन न्यास द्वारा उनके पोत ''एम. वी. लक्ष्मी'' को 'तटीय' पोत माना गया है।

अनुसूची

मामला सं0 टी ए एम पी/30/99 सी ओ पी टी

मैसर्स ए सी टी शिपिंग लिमिटेड - - - - - - - - - - - - - - - आवेदक

बनाम

दि कोचीन पोर्ट ट्रस्ट- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -प्रतिवादी

आदेश

(जुलाई 99 के 22 वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला मैसर्स ए सी टी शिपिंग लिमिटेड द्वारा किए गए अभ्योवदन से संबधित है, जिसमें उनके पोत "एम0 वी0 लक्ष्मी" पर 'तटीय' प्रभार लगाने का उल्लेख किया गया है जो

कि तटीय कार्गो के साथ कोचीन पत्तन न्यास (सी ओ पी टी) में 12 मार्च, 1998 को कांडला से आया था और 20 मार्च, 1998 को बाहर चला गया था।

2. यह पोत मैसर्स जैसू शिपिंग लिमिटेड, कांडला द्वारा कांडला पत्तन से बड़ी मात्रा में 12,000 मी0 टन बिना पिसा हुआ औद्योगिक नमक ढोने के लिए चार्टर किया गया था। कांडला पत्तन स्थित सीमा शुल्क प्राधिकारियों नें इस पोत को 'तटीय चलने वाला' की श्रेणी में परिवर्तित किया था। समग्र कार्गो उतारने के पश्चात यह पोत मुम्बई चला गया। पत्तन ने 'तटीय दरें' प्रभारित की थी।

3. कुछ समय पश्चात सी ओ पी टी ने एम बी पी टी से प्रवेश प्रमाणपत्र की मांग की। पोत को अगले संभावित कार्य के लिए नहीं लगाया गया था।एम बी पी टी से प्रवेश प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तक सी ओ पी टी ने 3,65,830/- रूपए की अतिरिक्त राशि की मांग की, जो कि 'तटीय' और 'बाहर जाने वाले' पोत के प्रभारों में अन्तर के कारण था तथा इसके साथ ही यह नोटिस भी भेजा गया कि कंपनी के पोतों को तब तक कोई सेवाएं प्रदान नही की जाएँगी, जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

4. पोत के स्वामियों के अनुसार "बाहर जाने वाले" पोत के आधार पर प्रभारों की मांग करना औचित्यपूर्ण नहीं है। सी ओ पी टी से खिन्न होने पर उन्होंने 'तटीय पोत' के विशेषाधिकारों/अधिकारों की बहाली के लिए उनके अभ्यावेदन पर विचार हेतु इस प्राधिकरण से संपर्क किया है।

5. यह मामला सी ओ पी टी के साथ उठाया गया था, जिन्होंने उल्लेख किया है कि पत्तन द्वारा अनुमोदित दरों के मान के अनुसार कोई भी पोत 'तटीय' तब कहलाता है, जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो : -

"किसी 'तटीय पोत' से अभिप्रेत कोचीन पत्तन पर आने वाले उस भारतीय अथवा विदेशी पोत से है, जो बैलास्ट में अथवा केवल भारतीय पत्तनों से लादे गए कार्गो और / अथवा चढ़े यात्रियों के साथ आया हो और जो बैलास्ट में अथवा केवल अन्य भारतीय पत्तन के लिए कार्गो और / अथवा यात्रियों के साथ जा रहा हो, बशर्ते कि उक्त पोत ने नौवहन महानिदेशालय से 'तटीय व्यापार' में संलग्न पोत माने जाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।"

5.2 सी ओ पी टी ने उल्लेख किया है कि उक्त पोत ने मुम्बई पत्तन की यात्रा की, लेकिन मुम्बई में प्रवेश नहीं किया। इसलिए, इसे 'बाहर जाने वाला' पोत माना गया और तदनुसार प्रभार लगाया गया। इसके अतिरिक्त, इस प्राधिकरण का 2 जून, 1998 का आदेश 1 जुलाई, 1998 से लागू हो गया है। अत: इसे मानते हुए सी ओ पी टी ने यह अनुभव किया कि 'बाहर जाने वाला' के आधार पर प्रभार लगाया जाना सही था।

6. इस प्राधिकरण ने अपनी 15 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना के अनुसार निर्णय लिया था कि 'बाहर जाने वाला' पोत का 'तटीय' पोत में परिवर्तन और इसके विलोमत: से संबधित 2 जून, 1998 का आदेश 1 जुलाई, 1998 से लागू होगा। पत्तन न्यासों द्वारा लगाए जाने वाले कोई भी प्रभार पूर्ववर्ती मामलों अर्थात उक्त आदेश के जारी होने से पहले के उनके दर मान के अनुसार होंगे। चुंकि, सी ओ पी टी ने हमारा आदेश जारी होने से पहले के दर मान के अनुसार कारवाई की है, इसलिए सी ओ पी टी द्वारा की गई कारवाई सही है।

7. तदनुसार, मैसर्स एस सी टी शिपिंग लिमिटेड, कोचीन द्वारा उनके पोत 'एम0 वी0 लक्ष्मी' द्वारा 12 मार्च, 1998 और 20 मार्च, 1998 के बीच की गई सी ओ पी टी की जलयात्रा के दौरान उनके पोत को 'तटीय' मानने के लिए किए गए अनुरोध को रद्द किया गया है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 1999

No. TAMP/30/99-COPT.— In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by the M/s. a c t Shipping Limited on treating their vessel 'M.V. Laxmi' as 'coastal' by the Cochin Port Trust as in the order appended hereto.

SCHEDULE

Case No.TAMP/30/99-COPT

M/s. a c t Shipping Limited ... Applicant

V/s

The Cochin Port Trust (COPT) ... Respondent

ORDER

(Passed on this 22nd day of July 99)

This case relates to a representation made by M/s. a c t Shipping Limited, Cochin, for levy of 'coastal' charges on their vessel 'M.V. Laxmi' which arrived in Cochin Port Trust (COPT) with coastal cargo on 12 March 98 from Kandla and sailed out on 20 March 98.

2. The ship was chartered by M/s. Jaisu Shipping Limited, Kandla, for discharging 12,000 MT of uncrushed Industrial Salt in bulk from Kandla Port. The vessel was converted to 'Coastal Run' by the Customs Authorities at the Kandla Port. After discharging the entire cargo, the vessel left for Mumbai. The Port charged 'coastal rates'.

3. Some time later, the COPT demanded a certificate of entry from the MBPT. The anticipated next employment of the vessel had not materialised. Pending production of a certificate of entry from the MBPT, the COPT demanded payment of an additional amount of Rs.3,65,830/-, being difference in 'coastal' and 'foreign-going' charges with a notice that no services, would be provided for further vessels of the Company unless the outstanding amount was paid.

4. According to the owners of the vessel, there is no justification in demanding the charges on 'foreign-going' basis. Being aggrieved by the COPT, they have approached this Authority for consideration of their representation for restoration of the privileges / rights of 'coastal vessel'.

5.1. The matter was taken with the COPT, who have stated that as per the Port's approved Scale of Rates, a vessel can be a coastal vessel if it satisfies the following conditions:

> "Coastal vessel means an Indian or foreign vessel arriving at the Cochin Port from another Indian port either in ballast or with cargo loaded in and/or passengers embarked exclusively from Indian ports and which leaves for another Indian port either in ballast or with cargo and / or passengers exclusively for Indian ports provided that the ship has obtained a license from the Directorate General of Shipping for being treated as a vessel engaged in Coastal Trade".

5.2. The COPT has sated that the vessel sailed to the Mumbai Port but did not take entry in Mumbai. Hence, it was treated as a 'foreign-going' vessel and charged accordingly. Moreover, this Authority's order dated 2 June 98 came into being with effect form 1 July 98. That being so, the COPT felt that levy of charges on 'foreign-going' basis was in order.

6. This Authority, vide its Notification dated 15 April 99 had decided that its order dated 2 June 98 about conversion of 'foreign-going' vessel to 'coastal' and vice versa would be effective from 1 July 98. Any charges levied by the Port Trusts would be as per their Scale of Rates in earlier cases i.e. prior to the issue of the said order. Since the COPT has acted as per their Scale of Rates prior to issue of our order, the action taken by the COPT is in order.

7. Accordingly, the request made by M/s. a c t Shipping Limited, Cochin, for treating their vessel 'M.V. Laxmi' as 'coastal', during its voyage to the COPT between 12 March 98 and 20 March 98, is rejected.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/Exty/143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054